इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 200 र

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 अप्रैल 2013—वैशाख 6, शक 1935

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्र. एफ. 21-292-2012-बी-1-दो.—पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) की धारा 46 की उपधारा (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पुलिस विनियम में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त विनियम में, विनियम ४६७ के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :--

''परन्तु खतरनाक चिरत्र के किसी कैदी को न्यायालय में पेशी के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु जेल से बाहर किसी निजी अथवा सार्वजनिक परिवहन यान में नहीं ले जाया जाएगा. ऐसे कैदी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उक्त प्रयोजन के लिये आशयित आवश्यक सुरक्षा के साथ केवल सुरक्षित पुलिस वाहन में ही ले जाया जाएगा.''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. पी. गुप्ता, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्र. एफ. 21-292-2012-बी-1-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 26 अप्रैल, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदृद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. पी. गुप्ता, सचिव.

Bhopal, the 26th April 2013

No. F-12-292-2012-B-I-(Two).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) and (3) of Section 46 of the Police Act, 1861 (5 of 1861), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Police Regulation, namely:—

AMENDMENT

In the said Regulation, after Regulation 467 the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that a prisoner of dangerious character shall not be taken out of Jail for appearance in the court of any other purpose in a private or public transport vehicle, Such prisoner shall be taken from one place to another only in a safe police vehicle with the necessary security meant for the said purpose."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
D. P. GUPTA, Secy.